न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी—श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—06 / 2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
ममतादेवी पत्नी पर्वतसिंह जाति मेघवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		1.ग्राम पंचायत जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा 2.ग्राम पंचायत जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा। 3.शंकर उर्फ शंकरराम पुत्र गंगा उर्फ गंगाराम जाति मेघवाल 4.घेवाराम पुत्र हराराम जाति मेघवाल 5.चोथाराम पुत्र हराराम जाति मेघवाल 6.छगना पुत्र सवाजी जाति मेघवाल निवासी इन्द्राणा रोड़ बुड़ीवाड़ा 7.जमनादेवी पत्नी डूंगरसिंह 8.कमलादेवी पत्नी तखतसिंह जाति मेघवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

राजस्व **अपील** अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2214 जो सरपंच ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा द्वारा आदेश दिनांक 13.3.2018 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :—

1.श्री तखतसिंह नामा ,अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।

2.श्री श्रवणकुमार उतरदाता संख्या 03 से 08 की ओर से

3. उतरदाता संख्या 01 व 02 एकपक्षीय।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक— 18.7.2023

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.संक्षेप में यह अपील ग्राम–बुड़ीवाड़ा पटवार क्षेत्र जागसा तहसील पचपदरा के नामान्तरकरण संख्या 2214 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा के आदेश दिनांक 13.3.2018 सें असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपील के साथ उन्होनें अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब सें होना अपील के प्रस्तुतीकरण में हुयें विलम्ब की वजह बतातें हुए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2.संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम बुडीवाडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 544 रकबा 33.17 बीधा भूमि उतरदाता संख्या 03 से 8 की संयुक्त खातेदारी की अवस्थिति थी,जिसमें उतरदाता संख्या 03 से 6 का संयुक्त हिस्सा 1/3 निहित था। उतरदाता संख्या 03 से 06 द्वारा अपीलाण्ट को जरिये रजिस्ट्री सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 बेचान किया और अपीलाण्ट द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी को बेचानपत्र पेश कर नामान्तकरण भरनें का निवेदन किया। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बेचानपत्र के आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा उतरदाता संख्या 03 के हिस्से की बेचान भूमि को छोड़ते हुए उतरदाता संख्या 4 से 6 हिस्सा 1/6 तक ही अधूरा नामान्तकरण संख्या 2214 भरा गया और भू.अ.निरीक्षक जसोल द्वारा नामान्तकरण की बिना जांच किए तस्दीक कर सरपंच ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा के समक्ष स्वीकृति के लिए पेश किया और सरपंच ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा द्वारा बेचानपत्र का बिना मिलान किए अधूरा नामान्तकरण स्वीकृत कर लिया। जबकि अपीलाण्ट द्वारा उतरदाता संख्या 3 से 8 का सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 क्रय किया था और इसीनुसार नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं कर अपीलाण्ट के साथ कुठराधात किया गया है। अभी अपील लाने से पूर्व विवादित भूमि की नकलें लेने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किये जाने पर सर्वप्रथम पता चला कि विवादित भूमि में अपीलाण्ट के नाम सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 इन्द्राज नहीं है,जो ज्ञान होने पर अधिवक्ता से सर्म्पक कर विवादित भूमि की नकले लेने पर अन्दर म्याद नामान्तकरण अपील पेश की गई है। अतःअपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद सुमार कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विवादित नामान्तकरण निरस्त करते हुए विवादित भूमि में उतरदाता संख्या 03 के हिस्से की भूमि अपीलाण्ट के नाम दायर की [illegible]

3.अपीलाण्ट की अपील म्याद के बिन्दु को सुर[illegible] गई उतरदाता को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। उतरदाता [illegible] 01 व 2 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उतरदाता संख्या 04 से 8 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया और अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार करने की सहमति स्वरूप इकबालीया जवाब पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिए कि ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 544 रकबा 33.17 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 03 से 8 की संयुक्त खातेदारी की अवस्थिति थी,जिसमें उतरदाता संख्या 03 से 6 का संयुक्त हिस्सा 1/3 निहित था। उतरदाता संख्या 03 से 06 द्वारा अपीलाण्ट को जरिये रजिस्ट्री सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 बेचान किया और अपीलाण्ट द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी को बेचानपत्र पेश कर नामान्तकरण भरनें का निवेदन किया। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बेचानपत्र के आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा उतरदाता संख्या 03 के हिस्से की बेचान भूमि को छोड़ते हुए उतरदाता संख्या 4 से 6 हिस्सा 1/6 तक ही अधूरा नामान्तकरण संख्या 2214 भरा गया और भू.अ.निरीक्षक जसोल द्वारा नामान्तकरण की बिना जांच किए तरदीक कर सरपंच ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा के समक्ष स्वीकृति के लिए पेश किया और सरपंच ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा द्वारा बेचानपत्र का बिना मिलान किए अधूरा नामान्तकरण स्वीकृत कर लिया। जबकि अपीलाण्ट द्वारा उतरदाता संख्या 3 से 8 का सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 क्रय किया था और इसीनुसार नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था,लेकिन ऐसा नहीं कर अपीलाण्ट के साथ कुठराधात किया गया है। जबकि अपीलाण्ट का वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अभी अपील लाने से पूर्व विवादित भूमि की नकलें लेने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किये जाने पर सर्वप्रथम पता चला कि विवादित भूमि में अपीलाण्ट के नाम सम्पूर्ण क्रयशुदा हिस्सा 1/3 इन्द्राज नहीं है,जो ज्ञान होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर विवादित भूमि की नकले लेने पर अन्दर म्याद नामान्तकरण अपील पेश की गई है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर तर्क दिया कि अपीलाण्ट की ओर से उतरदाता संख्या 03 से 6 की सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 क्रय किया था,लेकिन विवादित नामान्तकरण पारित करते हुए उतरदाता संख्या 03 का हिस्सा 1/6 यथावत रखतें हुए शेष भूमि का नामान्तकरण पारित किया गया,जो कि नियम से परे अवैध आदेश पारित किया गया है। अतः विवादित नामान्करण संख्या 2214 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन भूमि में उतरदाता संख्या 03 का इन्द्राज हिस्सा 1/6 भूमि अपीलाण्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित करावें।

5.उतरदाता संख्या 03 से 08 अधिवक्ता ने अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपनी बहस में तर्क दिए कि विवादित भूमि में उतरदाता संख्या 03 का संयुक्त हिस्सा 1/3 था और उतरदाता संख्या 03 से 6 द्वारास अपना सम्पूर्ण हिस्या का बेचान जरिये रजिस्ट्री अपीलाण्ट को किया गया तथा वक्त खरीद से आदिनांक अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उतरदाता संख्या 03 से 6 का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। बेचानपत्र के आधार पर ही नामान्तकरण पारित किया

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:40 IST
Reason: SelfAttested

जाना चाहिए था। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा आधा अधूरा नामान्तकरण भरा गया और ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा द्वारा बिना बेचानपत्र मिलान के विवादित नामान्तकरण पारित कर दिया। जिसके कारण उतरतदाता संख्या 03 के नाम 1/6 हिस्सा आदिनांक रेकर्ड में इन्द्राज होता आ रहा है। जबकि उतरदाता संख्या 03 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं है,क्योकि उतरदाता संख्या 03 द्वारा अपना हिस्सा उतरदाता संख्या 04 से 6 के साथ अपीलाण्ट को बेचान कर दिया गया था। लेकिन विवादित नामान्तकरण गलत स्वीकृत होने के कारण उतरदाता संख्या 03 का नाम रेकर्ड में चला आ रहा है। अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है,तो उतरदाता संख्या 03 से 8 को आपति नहीं है।

6.**हमनें** उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तजोवजात व अपीलाधीन नामान्तकरण का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बुडीवाडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 544 रकबा 33.17 बीधा भूमि किस्म बारानी सोयम की संयुक्त खातेदारी भूमि में से खातेदार उतरदाता संख्या 03 से 06 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 जरियें रजिस्ट्री बेचान अपीलाण्ट को किया,जो उप पंजीयक जसोल द्वारा दिनांक 18.12.2017 को रजिस्ट्री पंजीबद्व की गई,जो बेचानपत्र की प्रमाणित फोटोप्रति से स्पष्ट है। उक्त बेचानपत्र के आधार पर विवादित नामान्तकरण तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा भरा गया और भू.अभिलेख निरीक्षक जसोल द्वारा नामान्तकरण को तस्दीक कर सरपंच ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा को पेश किया और सरपंच ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा द्वारा विवादित भूमि को स्वीकृत किया गया। जबकि अपीलाण्ट का तर्क है कि उक्त नामान्तकरण गलत पारित किया गया है ,क्योकि उतरदाता संख्या 03 से 6 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 बेचान किया था। लेकिन विवादित नामान्तकरण अपीलाण्ट के पक्ष में हिस्सा 1/6 इन्द्राज किया गया और उतरदाता संख्या 03 का हिस्सा 1/6 अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं भरा गया। जबकि बेचानपत्र के अनुसार उतरदाता संख्या 03 द्वारा भी अपना हिस्सा अपीलाण्ट को बेचान करना पाया जाता है। लेकिन वर्तमान जमाबंदी अनुसार उतरदाता संख्या 03 का 1/6 हिस्सा इन्द्राज है,जो कि उतरदाता संख्या 03 इसका हकदार नहीं है। क्योकि उतरदाता संख्या 03 द्वारा भी उतरदाता संख्या 04 से [illegible] मिलकर संयुक्त बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में कर दिया ग[illegible] है कि अपीलाण्ट के हितों के साथ कुठाराधात [illegible] उतरदाता संख्या 03 का 1/6 हिस्सा अपने पक्ष में नामान्तकरण के जरिये इन्[illegible] करवानें की हकदार है। लेकिन ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा जरिये सरपंच द्वारा तत्समय बिना बेचानपत्र की जांच किए आधा अधूरा नामान्तकरण पारित कर दिया गया,जो कि नामान्तकरण निरस्त योग्य है। उतरदाता संख्या 03 से 08 द्वारा भी अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

करने के समर्थन में इकबालीया जवाब पेश किया है। जहां तक म्याद के बिन्दु का प्रश्न है,कि अपीलाण्ट द्वारा नामान्तकरण की जानकारी होने के बाद अन्दर म्याद अपील पेश नहीं की गई है एवं शून्य नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश करने की कोई म्याद भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद सुमार की जानी उचित प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत भी न्यायालय यह उचित समझता है,कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन भूमि के संबध में पारित बेचानपत्र दस्तोवज व मौका कब्जा काश्त स्थिति की समग्र जांच कर अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण अपीलाण्ट के हक में पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7.लिहाजा अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद सुमार कर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा के नामान्तकरण संख्या 2214 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा के आदेश दिनांक शून्य को निरस्त कर, प्रकरण इन निर्दशो के साथ तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि उतरदाता संख्या 03 से 06 की ओर से जरिये रजिस्ट्री बेचानपत्र दस्तोवज व मौका कब्जा काश्त की जांच करते हुए अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण विधिनुसार अपीलाण्ट के हक में नये सिरें से पारित करें।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 18.7.23 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:40 IST
Reason: SelfAttested